

## राजस्थान सरकार

### निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज. जयपुर

क्रमांक:--नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-20 पार्ट-1/से0नि0/2019/

दिनांक:--

### आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 44 दिनांक 09.11.2018 में क्रम संख्या 01 पर अंकित श्रीमती ली0सी0 के0ए0, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ के सेवानिवृत्त आदेश जारी किये गये थे, में आंशिक संशोधन करते हुए कार्मिका का पदस्थापन स्थान हनुमानगढ़ के स्थान पर राजसमन्द पढा जावें।

शेष यथावत

→

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:--नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-20 पार्ट-1/से0नि0/2019/131

दिनांक:--31-1-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत कराये :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन बीकानेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़/राजसमन्द।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द।
5. डीपीसी (नर्सिंग) अनुभाग मुख्यालय।
6. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

→

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर